राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

फोन न. 07432–230403, फ़ैक्स न. –230404

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

Email: dm-jha-rj@nic.in

दिनांकः 15.02.2018

क्रमांक / न्याय / 2018 / 936

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 28748 दिनांक 29.01.2018 से पुलिस थाना गंगधार के अभियोग सं0 13 / 18 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बुलबुल उर्फ सुनिल पुत्र हनुमान दास जाति बैरागी उम्र 23 साल निवासी बिलावली थाना गंगधार के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.01.2018 को श्री रूप सिंह सहायक उप निरीक्षक मय जाप्ता सांयकालीन गश्त मय अनुसंधान बाक्स सरकारी वाहन से रवाना होकर आडा बाजार आईस फेक्ट्री के पास पहुंचने पर मुखबिर की सूचना मिली कि बुलबुल उर्फ सुनिल बैरागी कूण्डला रोड पर खडा है। इसके पास देशी कटटा है। उक्त सूचना पर मय जाप्ते के सांकेतिक स्थान पर पहुंचने पर जीप को देखकर बुलबुल उर्फ सुनिल बैरागी भागने लगा, जिसे जाप्ते की मदद से पकडकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बुलबुल उर्फ सुनिल पुत्र हनुमान दास जाति बैरागी उम्र 23 साल निवासी बिलावली थाना गंगधार का होना बताया। तलाशी लेने पर पेंट की दाहिने जेब मे एक देशी कटटा 315 बोर मिला। लायसेंस नही होना बताया। मौके पर कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण सं0 13 / 18 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव मवाहान के कथन लेखबद्व किये अभियुक्त बुलबुल उर्फ सुनिल को गिरफतार कर अनुसंधान किया गया। जब्तशुदा देशी कटटा 315 बोर का मेकेनिकल मुआयना आरमोरर पुलिस लाईन से करवाया गया। जप्तशुदा देशी कटटा फायर करने योग्य एंव फायर आर्म्स की जद मे आना पाया गया। अभियुक्त बुलबुल उर्फ सुनिल के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रूप सिंह एएसआई थाना गंगधार व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटा 315 बोर को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त बुलबुल उर्फ सुनिल पुत्र हनुमान दास जाति बैरागी उम्र 23 साल निवासी बिलावली थाना गंगधार के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड